

## कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी विभाग केंद्र, अनुमत्तर रोड, फेस, अलीगढ़, पिन-202001 \* ई-मेल: cfaligarh@gmail.com

पत्रांक 53 /14-1, दिनांक:अलीगढ़:जुलाई 03, 2015

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र०, लखनऊ।

**विषय-** जनपद अलीगढ़ में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित गौमत-बाजना मार्ग एम०डी०आर०-139) किमी० चैनेज 37.260 दौंयी पटरी पर खसरा संख्या-927 ग्राम-शिवाला, तहसील-खैर, में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.0590 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।


**महोदय,**

जनपद अलीगढ़ में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित गौमत-बाजना मार्ग एम०डी०आर०-139) किमी० चैनेज 37.260 दौंयी पटरी पर खसरा संख्या-927 ग्राम-शिवाला, तहसील-खैर, में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.0590 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के पत्रांक 4920/14-10, दिनांक 24.06.2015 द्वारा प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव के भाग-3 पर अपेक्षित कार्यवाही करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर संस्तुति सहित 2 प्रतियों में संलग्नकर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(आलोक कुमार श्रीवास्तव)  
वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14-1, समदिनांकित।

1- प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को उनके पत्रांक 4920/14-10, दिनांक 24.06.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2- प्रतिलिपि-एस्सार आयल लिमिटेड, ए-5, सेक्टर-3 नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)  
वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।